

5/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 76/18

तारीख रजू— 03/08/2018

धर्मराज पुत्र नागराम जाति मीना निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

—रेस्पोंडेण्टस

निर्णय

दिनांक— 31.8.18

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 01/18 में पारित निर्णय दिनांक 19/07/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नं० 232 रकबा 0.15 ऐयर किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत है, तथा अपीलाधीन निर्णय पक्षकार को सुने बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एक मात्र हल्का पटवारी कि रिपोर्ट पर पारित किया गया है। अपीलान्त को हल्का पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलान्त को साक्ष्य सुनवायी का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चावर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद—आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद—आराजीयात पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशेकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नही है। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशांषा भी की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशांषा भी की है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्त द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/07/18 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.8.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर